



मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद्  
STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH  
(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)  
High Court Premises, Jabalpur – 482007 (M.P.)

एस.बी.सी./एम.पी./अधि./अधिसूचना क्र.14/3322/2024

दिनांक 20.08.2024

अधिसूचना क्रमांक -14

प्रति,

श्रीमान् अध्यक्ष/सचिव,  
समस्त अधिवक्ता संघ,  
मध्यप्रदेश

विषय:- नामांकन फार्म के शुल्क में परिवर्तन की सूचना।  
महोदय,

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् के माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका क्र. डब्लू.पी. 352/2023, गौरव कुमार विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश के परिपालन में नव नामांकित होने वाले आवेदकों के लिये निम्नानुसार नामांकन शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

1. सामान्य/ अन्य पिछला वर्ग हेतु -

रु. 600/- स्टेट बार कौंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से देय होगा।

रु. 150/- बार कौंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फण्ड, नई दिल्ली के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से देय होगा।

2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति हेतु -

रु. 100/- स्टेट बार कौंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से देय होगा।

रु. 25/- बार कौंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फण्ड, नई दिल्ली के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से देय होगा।

नामांकन फार्म एवं महत्वपूर्ण निर्देश मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् की वेबसाईट [www.sbcofmp.org.in](http://www.sbcofmp.org.in) में निशुल्क उपलब्ध है। आवेदक परिषद् की वेबसाईट से नामांकन फार्म डाऊनलोड कर उसे भरकर उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क के साथ मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा कर सकता है।

भवदीय,



गीता शुक्ला  
सचिव

म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद्